

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी/अपीलांत

बनाम

अप्रार्थी/रेस्पोंडेन्ट


श्री प्रवीण कुमार पुत्र श्री मीठालाल  
मार्फत मूलचंद फुलचंद शाह  
निवासी मोदी लाइन सिरोही  
जिला सिरोही।

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी  
तहसीलदार पिण्डवाड़ा

किस्म मुकदमा- अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

मुकदमा नं. 65 वर्ष 2020

दिनांक हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
14.10.2020	<p>अपीलांत ने यह प्रथम अपील रेस्पोंडेन्ट के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांत की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांत द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाड़ा को दिनांक 18.06.2020 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि मौजा नया सानवाड़ा के खाता सं. 253 के बंटवारनामा हेतु आवेदन उपरान्त प्रक्रिया की जानकारी से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांत द्वारा निर्धारित शुल्क रुपये 10 जमा करा दिये है। अपीलांत द्वारा लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाड़ा को दिनांक 18.06.2020 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि मौजा नया सानवाड़ा के खाता सं. 253 के बंटवारनामा हेतु आवेदन उपरान्त प्रक्रिया की जानकारी से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाड़ा द्वारा जरिये पत्र क्र. 210 दिनांक 08.07.2020 के द्वारा अपीलांत का प्रार्थना पत्र तहसीलदार पिण्डवाड़ा को स्थानान्तरण कर दिया, किन्तु चाही गई सूचना अपीलांत को उपलब्ध नहीं कराई गई है। अतः अपीलांत की अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार पिण्डवाड़ा को आदेशित किया जाता है कि अपीलांत द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें। यदि सूचना देना नियमों में संभव नहीं हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांत को सूचित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	

  
(भगवती प्रसाद)  
जिला कलक्टर, सिरोही

